T.D.R. मांडल ...

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7/12/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 30.9.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30/9/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 27.12.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27.12.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 167/22

श्री गोवर्धन लाल s/o श्री गंगा ब्राह्मण निवासी - ग्रसाडिया तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मण s/o श्री कालूलाल ब्राह्मण निवासी- ग्रसाडिया तहसील-माण्डल [भीलवाड़ा]
(अंसंबंधित खातेदार ...)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 27.12.22

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम ग्रसाडिया पटवार हल्का कवराडिया तहसील माण्डल मे उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. संलग्नित पिव्लगृह कुल किता 15 रकबा 5.5390 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य पर आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.22 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को न्नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अत इन तथ्यो को देखते ार्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्रसाडिया पटवार कवराडिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. संलग्नित पिव्लगृह प्रअंकित किता 15 रकबा 5.5390 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख क आत्माराम को 2200/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने करान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार : पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा